न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 01/18

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये रमेश चन्द खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर।		1महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह चौहान मैनेजर ऑफ आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. पेन्ट्रीकार ऑफ 12307/08 हावडा से जोधपुर एक्सप्रेस कार्यालय का पता– ए 25 प्रथमतल अस्पताल रोड जंगपुरा – ए नई दिल्ली – 110014 2एस बी अग्रवाल (डायरेक्टर) आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. पता– पंचवटी दीपक नगर रेलवे स्टेशन के सामने दुर्ग 491001 मध्यप्रदेश। कार्यालय का पता– ए 25 प्रथमतल अस्पताल रोड जंगपुरा – ए नई दिल्ली – 110014 3 आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. पता– पंचवटी दीपक नगर रेलवे स्टेशन के सामने दुर्ग 491001 मध्यप्रदेश। कार्यालय का पता– ए 25 प्रथमतल अस्पताल रोड जंगपुरा – ए नई दिल्ली – 110014

आदेश दिनांक :12.03.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13-01-2017 को हावडा से जोधपुर एक्सप्रेस में खाद्य पदार्थ Flavored Double Toned Milk (Gopal ji Brand) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. NWR- 314 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/35/एक्ट/2017/33 दिनांक 24.01.2017 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ Flavored Double Toned Milk (Gopal ji Brand) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह चौहान मैनेजर ऑफ आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. पेन्ट्रीकार ऑफ 12307/08 हावडा से जोधपुर एक्सप्रेस कार्यालय का पता– ए 25 प्रथमतल अस्पताल रोड जंगपुरा–ए नई दिल्ली–110014, एस बी अग्रवाल (डायरेक्टर) आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. निवासी पंचवटी दीपक नगर रेल्वे स्टेशन के सामने दुर्ग 491001 मध्यप्रदेश तथा आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. निवासी पंचवटी दीपक नगर रेल्वे स्टेशन के सामने दुर्ग 491001 मध्यप्रदेश ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08-02-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.02.2020 को जवाब पेश किया तत्पश्चात अप्रार्थीगण ने दिनांक 12.03.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ट्रेन में मिल्क का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया। दूध हम अलग अलग जगह से लेते है जिससे दूध में फैट की मात्रा कम/ज्यादा हो गई। हम न्यायालय को आश्वस्त करते है कि भविष्य में दूध की गुणवता का ध्यान रखा जायेगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते है तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत** में सुनवाई हेतु आज रखी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/35/एक्ट/2017/33 दिनांक 24.01.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ Flavored Double Toned Milk (Gopal ji Brand) का नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह चौहान मैनेजर ऑफ आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. पेन्ट्रीकार ऑफ 12307/08 हावडा से जोधपुर एक्सप्रेस कार्यालय का पता– ए 25 प्रथमतल अस्पताल रोड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

जंगपुरा–ए नई दिल्ली– 110014, अप्रार्थी संख्या 2. एस बी अग्रवाल (डायरेक्टर) आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. निवासी पंचवटी दीपक नगर रेल्वे स्टेशन के सामने दुर्ग 491001 मध्यप्रदेश तथा अप्रार्थी संख्या 3. आर के एसोसिएट एण्ड Hoteliers Pvt. Ltd. निवासी पंचवटी दीपक नगर रेल्वे स्टेशन के सामने दुर्ग 491001 मध्यप्रदेश संयुक्त रूप से रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)